Office of the district collector, Jaunpur

No. 2968/14-16

date 08/03/2021

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Rule 6(3)(e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (Conservation) second Amendment Rules 2014; and Forest (Conservation) Amendment Rules 2016] It is certified that 34.3636 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Sr.Section Engineer, Work/Construction, N.Railway Lucknow (name of user agency) for establishing Railway Track Doubling between Km no. 823.250 to 874.355 to the Jaunpur under Zafrabad - Akbarpur railway track falls with the jurisdiction of village name Zafarabad, Husanabad, Jaunpur, Haidepur, Mahagawan, Jangipur khurd, Mehrawan, Bhurkhurhan, Manechha, kheta sarai and Gorari khalilpur, Majdeeha; Sindhai, Burhapur, Shahganj Takha Mariyam West, and Umariya, in Sahganj and Sadar Tahsil having no recorded population of Scheduled Tribes as per Census of India 2001 and 2011. It is further certified that;

- a) The Protected forest (s) namely Zafarabad Akabarpur railway track involved in the above village are plantations raised on non- forest land on or after 13th December 1930 and were notified as per PF vide Notification No-(s) 8109/XIV-2-503-77 dated 25-01-1979.
- b) Therefore, these PFs neither have residing Scheduled Tribes nor have other Traditional Forest Dwellers (residing in the PFs for more than 75 years) having rights recognized on the sais of Note short O under Forest Rights Act, 2006.

(G.C.Tripathi)

Divisional Director,

Social Forestry Division,

Divisional Biff Caston, Social Forestory Dission

Janupur

सहाद अविशाषी अभियन्ता (नि०/प्रयागः उत्तर रेलवे. तखनऊ

Asst. Executive Engineer (ConsuPrayer) Northern Reilway, Lucknow

Scanned with CamScanner

Jaunpur. (U.P).



नोटशीट

जिलाधिकारी जौनपुर।

जनपद जौनपुर में सीनियर सेक्शन इंजिनियर, कार्य/निर्माण, उत्तर रेलवे लखनऊ द्वारी जनपद जौनपुर में जफराबाद—अकबरपुर रेलमार्ग किमी० 823.250 से 874.355 के मध्य रेल ट्रैक डब्लिंग हेतु प्रस्तावित परियोजना में प्रस्तावित 34.3636 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमित हेतु भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति हेतु भारत सरकार का पत्र सं० एफ०न० 11–09/98 एफ०सी० (पीटी०) दिनांक 28.10.2014 (पताका–1) द्वारा दिये गये निर्देशानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत् निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 का प्रमाण पत्र आवश्यक है।

उक्त शासनादेश के पैरा—3 के अनुसार भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि में ऐसा वृक्षारोपण न हो जो 13.12.2005 को 75 वर्ष से अधिक पुराना हो तथा उक्त क्षेत्र में अनुसूचित जन जाति एवं परम्परागत वन निवासी की जनसंख्या 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार न हो तथा वन भूमि पर उनके अधिकार न हो।

सीनियर सेक्शन इंजिनियर, कार्य/निर्माण, उत्तर रेलवे लखनेक द्वारा जनपद जौनपुर में जफराबाद—अकबरपुर रेलमार्ग किमी० 823.250 से 874.355 के मध्य का गजट नोटिफिकेशन 10 फरवरी 1960 को जारी हुआ, जो 13 दिसम्बर 2005 को 75 वर्ष से कम है (पताका—2) एवं उक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण 75 वर्ष से पुराना नहीं है।

अतः भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक—। I/Misc/618/2010-17/UP,Raj/Delhi/।।।/1148 दिनांक 13.01.2021 (पताका—3) द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्धारित प्रारूप में [वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत् निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006] सम्बन्धित प्रमाण पत्र हेतु नियमानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत है।

कृपया अवलोकनोपरान्त हस्ताक्षर करने की कृपा करें।

THEA CONTING TO SHOULD BE AND SHOULD BE AND

(गिरीश चन्द्र त्रिपाठी) अप्रभागीयान्धितेशक, सामाजिकाजवात्तिकीः प्रभाग, जौनपुर।

CNO

6/2/2m

Scanned with CamScanner